# Ram Krishna Dwarika College, Patna

## Report of Online Classes and Study materials of the Department of Political Science.

1) Annexure C

2) Study Materials

# STUDY MATERIALS OF THE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE FOR B.A. I

STUDY MATERIAL

OF

DR. RENU MOWAR

FOR

B.A I

42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्चतम की सभी स्थिति को समाप्त कर दिया गया है और अब उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में वही स्थिति और शक्ति प्राप्त हो गयी है, जो 42वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व थी।

(5) **उच्च न्यायालय : अभिलेख न्यायालय** (Court of Record)—सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है अर्थात् इसके निर्णयों को प्रमाण के रूप में अन्य न्यायालयों में पेश किया जा सकता है तथा उन्हें किसी न्यायालय में पेश किये जाने पर उनकी वैधानिकता पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए किसी भी व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है।

(6) **न्यायिक क्षेत्र में प्रशासन की शक्तियां** (Administrative Powers in Judiciary)—उच्च न्यायालय को न्यायिक शक्ति के अतिरिक्त अपने राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। यह राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रण रखता है

(i) **अनुच्छेद** 227 के अनुसार उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर निरीक्षण का अधिकार रखता है। अपने इस अधिकार के अन्तर्गत वह अपने अधीन न्यायालयों से किसी भी मुकदमे से सम्बन्धित कागजात मंगवाकर देख सकता है।

(ii) संविधान के **अनुच्छेद** 228 के अनुसार उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर निम्न न्यायालय के विचाराधीन किसी मुकदमे में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, तो वह उस मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। इस सम्बन्ध में तो उच्च न्यायालय स्वयं ही मुकदमे का फैसला कर सकता है या केवल कानून के प्रश्न को निर्धारित कर निम्न न्यायालय को उस मुकदमे का फैसला करने के सम्बन्ध में निर्देश दे सकता है।

(iii) उच्च न्यायालय किसी विवाद को एक अधीन न्यायालय से दूसरे अधीन न्यायालय में भेज सकता है।

(iv) अधीन न्यायालय की कार्य पद्धति, रिकार्ड और रजिस्टर तथा हिसाब इत्यादि रखने के सम्बन्ध में भी उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के लिए नियम बना सकता है।

(v) अधीन न्यायालयों के शेरिफ, क्लर्क, अन्य कर्मचारी तथा वकील, आदि के वेतन, सेवा शर्तें और फीस निश्चित करता है।

(vi) यह जिला न्यायालय तथा सबसे छोटे न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, पदावनति, उन्नति और छुट्टी, इत्यादि के सम्बन्ध में नियम बना सकता है।

(vii) उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पास होती है।

**प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना** (Setting up of Administrative Tribunals)—42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संसदीय कानून के आधार पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था सेवाओं से सम्बन्धित विवादों पर शीघ्र निर्णय के लिए की गयी है। संघ और राज्य की लोक सेवाओं में भर्ती और सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जो विवाद होंगे, उनकी सुनवाई इन न्यायाधिकरणों के द्वारा की जाएगी। संघ के लिए इसी प्रकार का एक न्यायाधिकरण होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक अथवा दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से न्यायाधिकरण स्थापित किया जा सकेगा। व्यवहार में कुछ ही राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के न्यायाधिकरण स्थापित किये गये हैं।

## उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता
## (PROVISION FOR THE INDEPENDENCE OF HIGH COURT JUDGES)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता के लिए संविधान के द्वारा वैसे ही उपक्रमों की व्यवस्था की गयी है जैसे उपबन्धों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। संक्षेप में, ये उपबन्ध निम्नलिखित हैं :

(1) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह नियुक्ति न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों के परामर्श के आधार पर की जाती है।

(2) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित है। न्यायाधीश अवकाश ग्रहण की आयु तक कार्य करते हैं और इस अवधि से पूर्व न्यायाधीशों को महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

(3) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय तथा उन उच्च न्यायालयों जिनका वह न्यायाधीश नहीं रह चुका है, को छोड़कर, अन्य किसी न्यायालय या पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है।

(4) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संविधान द्वारा निर्धारित कर दिया गया है और पद ग्रहण के बाद उनके वेतन, भत्ते, आदि में कोई कमी नहीं की जा सकती। वेतन, भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी के सम्बन्ध में नियम निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है, न कि राज्य के विधानमण्डल को।

(5) न्यायाधीशों का वेतन तथा उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भार राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित है इसलिए इस पर संसद या राज्य विधानमण्डल में मतदान नहीं हो सकता।

(6) उच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है तथा उनकी सेवा शर्तें भी वही निर्धारित करता है।

इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालयों की पूर्ण स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गयी है और भारतीय संघ के विभिन्न उच्च न्यायालयों के अब तक के कार्य के आधार पर कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय अपने कार्यव्यवहार में पूर्णतया स्वतन्त्र और निष्पक्ष रहे हैं।

## उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण
### (TRANSFER OF THE HIGH COURT JUDGES)

संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण कर सकता है। इस स्थानान्तरित किये गये न्यायाधीश को वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते भी दिये जायेंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।

**भारत संघ बनाम सांकलचन्द** के मामले में राष्ट्रपति की उस अधिसूचना को, जिसके द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था, इस आधार पर चुनौती दी गयी थी कि स्थानान्तरण आदेश सम्बन्धित न्यायाधीश की सहमति से नहीं पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने 3 : 2 बहुमत से प्रत्यर्थी के उपर्युक्त तर्क को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बिना उसकी सम्मति के स्थानान्तरित किया जा सकता है। स्थानान्तरण की शक्ति लोकहित में प्रयोग करने के लिए प्रदान की गयी है न कि किसी न्यायाधीश को, जो कार्यपालिका के अनुसार कार्य नहीं करता है, दण्ड देने के लिए नहीं किया जा सकता। यह न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अनुच्छेद 222 के अधीन राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से करने के लिए बाध्य है। यह एक पूर्ववर्ती शर्त है जिसका पूरा होना आवश्यक है। यही नहीं, परामर्श का 'प्रभावी' होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधिपति से राय लेते समय राष्ट्रपति को सभी आवश्यक तथ्यों जो उसे उपलब्ध हैं उसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

**एस. पी. गुप्त और अन्य बनाम राष्ट्रपति और अन्य** जो **न्यायाधीश स्थानान्तरण मामले** से प्रसिद्ध है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में काफी विस्तार से विचार करने का अवसर मिला। इस मामले में केन्द्रीय विधि मन्त्री के उस परिपत्र को, जिसके द्वारा अपर और अन्य न्यायाधीशों के दूसरे उच्च न्यायालयों में नियुक्ति या स्थानान्तरण के लिए अपनी सम्मति देने को कहा गया था, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण आदेश तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश की पदावधि को न बढ़ाये जाने के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इनके कारण न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 : 3 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि विधिमन्त्री का परिपत्र विधिमान्य है और इससे अनुच्छेद 217 और 222 का उल्लंघन नहीं होता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. बी. एन. सिंह के मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण को न्यायालय ने 4 : 3 के बहुमत से इस आधार पर विधिमान्य घोषित किया कि उनका स्थानान्तरण 'लोकहित' में किया गया था और अनुच्छेद 222 के अधीन 'पूर्ण और प्रभावी परामर्श' के पश्चात् किया गया था। बहुमत ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 222 के अधीन न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के लिए उनकी 'सम्मति' लेना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 222 केवल यह अपेक्षा करता है कि स्थानान्तरण भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से हो और लोकहित में हो और दण्डस्वरूप न हो। बहुमत ने अपने पूर्व निर्णय सांकलचन्द में व्यक्त किये मत की पुष्टि करते हुए निर्णय दिया कि स्थानान्तरण के मामले में न्यायाधीश की सम्मति आवश्यक नहीं है। न्यायाधिपति के. बी. एन. सिंह के नजदीकी सम्बन्धों को कुछ व्यक्ति गलत ढंग से प्रयोग कर रहे थे जिसके कारण पटना उच्च न्यायालय प्रशासन में भारी सन्देह और असन्तोष व्याप्त हो गया था। इस स्थिति का निराकरण लोकहित का विषय था।

## उच्च न्यायालयों की भूमिका : आलोचनात्मक मूल्यांकन
## (ROLE OF HIGH COURTS : CRITICAL ESTIMATE)

पिछले कुछ वर्षों से उच्च न्यायालयों की भूमिका की अनवरत आलोचना की जा रही है जिसके निम्नलिखित आधार हैं :

(1) उच्च न्यायालयों में मुकदमों का अम्बार लगा हुआ है और वे शीघ्र न्याय प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं।

(2) उच्च न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों का अभाव है और न्यायिक रिक्तियों को भरने में विलम्ब किया जाता है। सरकारिया आयोग को एक राज्य सरकार ने यह बताया कि उनके द्वारा भेजे गये नामों को, जिनका कि मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल और मुख्यमन्त्री ने सर्वसम्मति से समर्थन किया था, दो वर्ष से भी अधिक समय तक अनुमोदित नहीं किया गया था। चाहे जो भी स्थिति हो, **पाक्कलन समिति** की रिपोर्ट से यह स्पष्टतः पता चलता है कि न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने में कभी-कभी चार वर्ष तक का अत्यधिक विलम्ब किया गया है।

(3) उच्चकोटि के वकील उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना पसन्द नहीं करते जिनसे अनेक उच्च न्यायालयों में ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त किये गये जिनकी योग्यता की श्रेष्ठता सन्देहास्पद मानी जाती है।

(4) अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिश्तेदार भी वकालत का पेशा करते हैं जिससे निष्पक्षता प्रभावित होने लगी है।

सरकार की भूमिका भी न्यायालयों को नियन्त्रित करने की रही है। आपातकाल में 16 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण किये गये जिसका कारण 'राष्ट्रीय एकता' की प्राप्ति नहीं था। 1976 में बम्बई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश यू. आर. ललित की पदावधि इसलिए नहीं बढ़ायी गयी क्योंकि उन्होंने आपातकाल के बावजूद कतिपय विद्यार्थियों की जमानत अर्जी स्वीकार की थी. इसी प्रकार 1976 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश आर. एन. अग्रवाल की पदावधि में वृद्धि नहीं की गई क्योंकि उन्होंने पत्रकार कुलदीप नय्यर को छोड़ने के आदेश दिये। कई उच्च न्यायालयों में सरकार लम्बे समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाये रखती है और वरिष्ठता के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं करती। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिलाप चन्द्र जैन की वरिष्ठता की उपेक्षा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री अग्रवाल को राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जबकि श्री जैन उनसे वरिष्ठ हैं, लम्बे समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहे हैं। इसे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण माना गया और राजस्थान उच्च न्यायालय की बार के वकीलों ने लम्बे समय तक हड़ताल की।

सरकारिया आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था और सिफारिश की है कि :

(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनकी सहमति के बिना स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। (2) किसी न्यायाधीश के स्थानान्तरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में न्यायधीश की प्रतिक्रिया और कठिनाइयों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखने के बाद भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दी गयी सलाह राष्ट्रपति द्वारा विवेकानुसार अवश्य स्वीकार कर ली जानी चाहिए।

# STUDY MATERIAL
# OF
# DR. SHAKIL AHMED
# FOR
# B.A I

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्रात्मक राज्य सामान्यतया वह है जिसमें प्रभुत्व शक्ति सामूहिक रूप जनता के हाथ में रहती है जिसमें जनता शासन सम्बन्धी मामलों में अपना अंतिम नियंत्रण रखती है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन यंत्र स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं है बल्कि वह सरकार की नियुक्ति करने उस पर नियंत्रण करने तथा हटाने की विधि है। इस प्रकार लोकतंत्र जनता की इच्छा का प्रतिफल है। यह समानता, स्वतंत्रता तथा विश्वबन्धुत्व की भावना पर आधारित शासन होता है।

लोकतंत्र के गुण (Merits of democracy) →
प्रजातंत्र या लोकतंत्र के निम्नलिखित गुण है।

(1) सामान्य जनता के हितों की ओर विशेष ध्यान → जहाँ सरकार के अन्य रूपों में किसी न किसी वर्ग के विशेष हितों की ओर ध्यान दिया जाता है तथा साधारण व्यक्ति के हितों की कोई परवाह नहीं की जाती है वहाँ लोकतंत्र में किसी वर्ग विशेष के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। सामान्य जनता के हितों को सर्वोपरि समझा जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ

continues-

शासन है।

(2) समानता, स्वतंत्रता तथा विश्वबन्धुत्व जैसे उच्च आदर्शों पर आधारित शासन -> लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता तथा विश्वबन्धुत्व की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था में सभी वर्ग समान समझे जाते है और ऊँच नीच गरीब अमीर जात-पात धर्म लिंग तथा रंगों का भेद भाव नहीं होता है। लोकतंत्र शासन पद्धति में जितनी स्वतंत्रता जनता को मिलती है। उतनी स्वतंत्रता सरकार के किसी अन्य रूप में जनता को नहीं मिलती है। इस शासन व्यवस्था में विश्वबन्धुत्व के सिद्धान्त पर जितना बल दिया जाता है उतना किसी और शासन व्यवस्था में नहीं।

(3) जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था -> लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसमें जनता के प्रतिनिधि स्वयं शासन चलाते है। विधान मंडल जन आकांक्षा के अनुरूप विधि निर्मित करता है। मंत्रिमंडल भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लॉवेल ने ठीक ही कहा है कि पूर्ण प्रजातंत्र में किसी को यह शिकायत नहीं हो सकती है कि उसकी बातों को नहीं सुना गया।

continuous -

STUDY MATERIAL

OF

DR. PRABHA KUMAR

FOR

B.A I.

Scanned with CamScanner

Senate

Powers and functions of American Senate

a) Legislative power-
The American Senate enjoys equal Power with the House of representatives in case of ordinary legislative matters. So far money bills are concerned, Senate holds overriding powers. A money bill initiated by House of representatives can be amended by the Senate and it's decision will be final.

b) Executive power

Impeachment power-
Under the Constitution, the next House of Representatives has the power to impeach a government official, in effect serving as prosecutor. The Senate has the sole power to conduct impeachment trials, essentially serving as jury and judge. Since 1789 the Senate has tried 19 federal officials, including two presidents.

Nominations
The Constitution provides that the president "shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the Supreme Court, and all other Officers of

federal officials, including two

## Nominations

The Constitution provides that the president "shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the Supreme Court, and all other Officers of the United States... (Article 2, Section 2)." The Senate has always jealously guarded its power to review and approve or reject presidential appointees to executive and judicial branch posts.

## Treaties

The Constitution gives the Senate the power to approve, by a two-thirds vote, treaties made by the executive branch. The Senate has rejected relatively few of the hundreds of treaties it has considered, although many have died in committee or been withdrawn by the president. The Senate may also amend a treaty or adopt changes to a treaty. The president may also enter into executive agreements with foreign nations that are not subject to Senate approval.

## Expulsion

Article I, section 5, of the U.S. Constitution provides that each house of Congress may "...punish its members for disorderly

behavior, and, with the concurrence of two-thirds, expel a member." Since 1789 the Senate has expelled only 15 of its entire membership.

Censure

Article I, section 5, of the U.S. Constitution provides that "Each House [of Congress] may determine the Rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two-thirds, expel a member." Censure is a form of discipline used by the Senate against its members (sometimes referred to as condemnation or denouncement). A formal statement of disapproval, a censure does not remove a senator from office. Since 1789 the Senate has censured nine of its members.

c) Filibuster and Cloture

The Senate has a long history of using the filibuster—a term dating back to the 1850s in the United States—to delay debate or block legislation. Unlimited debate remained in place in the Senate until 1917, when the Senate adopted Rule 22 that allowed the Senate to end a debate with a two-thirds majority vote—a tactic known as "cloture." In 1975 the Senate reduced the number of votes required for cloture from two-thirds (67) to three-fifths (60) of the 100-member

until 1917, when the Senate adopted Rule 22 that allowed the Senate to end a debate with a two-thirds majority vote—a tactic known as "cloture." In 1975 the Senate reduced the number of votes required for cloture from two-thirds (67) to three-fifths (60) of the 100-member Senate.

d) Investigations
Congress has conducted investigations of malfeasance in the executive branch—and elsewhere in American society—since 1792. The need for congressional investigation remains a critical ingredient for restraining government and educating the public.

e) judicial power
The United States Constitution gives each house of Congress the power to be the judge of the “elections, returns, and qualifications of its own members” (Article I, section 5). Since 1789 the Senate has carefully guarded this prerogative and has developed its own procedures for judging the qualifications of its members and settling contested elections.

Senate

07:11